ग्राम पंचायत महालपट्ट, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176125 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत महालपट्ट, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती आशा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री देश राज	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री बलदेव कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती बबीता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत महालपट्ट के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र० सं०	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	16.64
2	4.2	निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि रखना	0.63
3	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	24.20
4	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.35
5	8	विवाह पंजीकरण शुल्क का पंचायत निधि में अनियमित जमा करवाना	0.13
6	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	1.60
7	9.2	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	8.77
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	2.81
9	11.1	निर्माण सामग्री हेतु अनियमित भुगतान करना	1.24
10	11.2	व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.80
11	12	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत महालपट्ट का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था, जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा

			समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
2	4	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
3	4.1	अनिर्णीत	—
4	4.2 (i)	अनिर्णीत	—
5	4.2 (ii)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
6	4.2 (iii)	अनिर्णीत	—
7	4.3	अनिर्णीत	—
8	4.4	अनिर्णीत	—
9	5	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
10	6	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
11	7	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
12	8	अनिर्णीत	—
13	9	अनिर्णीत	—
14	10	अनिर्णीत	—
15	11	अनिर्णीत	—
16	12	अनिर्णीत	—
17	13	अनिर्णीत	—
18	14	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
19	15	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक

			10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
20	16	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत महालपट्ट के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.02.2025 से 01.03.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	09/2022	01/2023
2023–24	06/2023	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/137 दिनांक–01.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक बैजनाथ के मल्टीसिटी चैक संख्या 364090 दिनांक 20.03.2025 द्वारा निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/119 दिनांकः–21.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–**स्त्रोतः–**

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2028285.25	1131237.00	3159522.25	1244837.00	1914685.25
2023-24	1914685.25	952215.88	2866901.13	987615.00	1879286.13

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2607834.20	3925601.00	6533435.20	3765241.00	2768194.20
2023-24	2768194.20	3341140.30	6109334.50	3689002.30	2420332.20

कुल योग (1+2)1879286.13+2420332.20 **=42,99,618.33**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹42,99,618.33 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" अनुसार अन्तशेष ₹26,35,398.15 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरां वित/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी/एम.पी.लेड/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बैजनाथ	20016004952	759399.90

2	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक बैजनाथ	50068861028	0.00
3	15वॉं वित्त / पी.एस / जेड.पी	कैनरा बैंक बैजनाथ	5073101004009	1810946.00
4	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			63423.25
5	हस्तगत शेष (14वां वितायोग की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			1629.00
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2635398.15
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹4299618.33
पंचायत के बैंक खातों / नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹2635398.15
अन्तरः–				**1664220.18**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹16.64 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत महालपट्ट द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1664220.18 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 124 दिनांकः–24.02.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त राशि का अंतर रोकड़ बही में अधिक पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे समर्थित अभिलेखो सहित तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक

समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खातें खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत महालपट्ट द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत, व तीसरा वित्त तथा एस.डी.पी, वी.के.वी.एन.वाई, एम.पी.लेड व एस.बी.एम आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20016004952 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति न दर्शाने एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/128 दिनांकः–25.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही इम्प्रैस्ट/अग्रदाय रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।

अतः इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रो॰ ब॰ पृ॰	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	1	29.04.2022	63450.25
2.	3	25.06.2022	63450.25
3.	16	27.09.2022	63423.25
4.	17	24.02.2023	63423.25
5.	33	31.03.2023	63423.25
6.	1	31.04.2023	63423.25
7.	11	05.08.2023	63423.25
8.	18	25.10.2023	63423.25
9.	29	22.02.2024	63423.25

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹14,37,868.02 से ₹7,59,399.90 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/136 दिनांकः 01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 15 दिनांक 01.03.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान राशि ₹24.20/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/119 दिनांकः–21.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹24,20,332.20/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	14वाँ वित्त	31.03.2024	623020.20
2	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1797312.00
		कुल जोड	**2420332.20**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/125 दिनांक–24.02. 2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 सभा निधि से राशि ₹1.28/– लाख का जियो डिजिटल फाईवर प्राईवेट लिमिटेड को अनियमित हस्तांतरण करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹128000/– का हस्तांतरण सभा निधि से जियो डिजिटल फाईवर प्राईवेट लिमिटेड को किया गया। परन्तु इस

हस्तांतरित राशि से संबंधित फण्ड हस्तांतरण आदेश या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशो से संबंधित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क्र0सं0	अनुदान/मद	वाउचर सं0/ दिनांक	रोकड़ बही पृ0 संख्या	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	सभा निधि	पी/54/ 26.12.2023	23	20016004952	128000

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/136 दिनांक–01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि जियो डिजिटल फाईवर प्राईवेट लिमिटेड को हस्तांरित की गई राशि के फण्ड हस्तांतरण आदेश आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए अनियमित हस्तांतरण बारे नियमानुसार सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फण्ड हस्तांतरण आदेशों उपरान्त ही हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.35 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/119 दिनांकः–21.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹35350**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणो के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर

दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/126 दिनांकः–25.02.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.13/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित जमा करने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/119 दिनांकः–21.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत महालपट्ट द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹13000 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक भी है।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/127 दिनांकः–25.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत महालपट्ट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि सभा निधि में जमा करवाई गई, जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.60 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत महालपट्ट के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹159627/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/131 दिनांकः—27.02.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15 दिनांकः—01.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹8.77 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश माइनंर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹877357/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/132 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्त्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹2.81/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹280939/–का भुगतान किया

गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः—

क्र0सं0 व अनुदान शीर्ष	वाउचर स0 / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.वी.के.वी.एन.वाई	पी / 72 / 86 / 30.01.23	09 / 20.09. 2022	निर्माण राणा महिला मण्डल भवन वार्ड–7	50168	माप–पुस्तिका, 34–सी
2.वी.के.वी.एन.वाई	पी / 60 / 81 / 05.01.23, पी / 31,32 / 77 ,78 / 06.07. 2023	297208 / 12. 10.2022,एस. सी / 23–24 / 0570,001 / 17.05. 2023,20.05. 2023	कम्पलीशन महिला मण्डल भवन नोहरा वार्ड–3	41291	माप–पुस्तिका, 34–सी
3.14वां वित	पी / 16 / 85 / 30.01.23	20 / 20.10. 2022	निर्माण पंचवटी पार्क महालपट्ट वार्ड–6	28832	माप–पुस्तिका, 34–सी
4.15वां वित	पी / 29 / 128 / 02.01.23	031 / 26.12. 2022	निर्माण जीपेवल रोड हरीजन बस्ती घाड वार्ड 4	28284	माप–पुस्तिका, 34–सी
5.जेड.पी	पी / 32 / 52 / 23–24 / 02. 01.23	एस.एस.एस. इ / 23–24 / 0047 / 28.04. 2023	सोलरलाईट स्थापन्न नजदीक घाड, मन्दिर वार्ड 4	13070	माप–पुस्तिका
6.जेड.पी	पी / 33 / 53 / 23–24 / 02. 01.23	एस.एस.एस. इ / 23–24 / 0047 / 28.04. 2023	सोलरलाईट स्थापन्न नजदीक अवस्थी बस्ती नोहरा वार्ड 3	13070	माप–पुस्तिका
7.जेड.पी	पी / 34 / 54 / 23–24 / 02. 01.23	एस.एस.एस. इ / 23–24 / 0047 / 28.04. 2023	सोलरलाईट स्थापन्न नजदीक दूलो राम के घर वार्ड 1	13070	माप–पुस्तिका

8.जेड.पी	पी / 35 / 55 / 23–24 / 02.01.23	एस.एस.एस.इ / 23–24 / 0047 / 28.04.2023	सोलरलाईट स्थापन्न नजदीक अजय शर्मा के घर वार्ड 2	13070	माप–पुस्तिका
9.मनरेगा	शून्य / 04.01.2023	मस्ट्रोल 5927	निर्माण डंगा नजदीक उतम अवस्थी स्पुत्र खयाली राम वार्ड 3	13144	माप–पुस्तिका, 34–सी
10.मनरेगा	शून्य / 07.01.2023	881 / 20.01.2022	निर्माण डंगा नजदीक प्राण नाथ स्पुत्र अवस्थी की जमीन में वार्ड 3	22480	माप–पुस्तिका, 34–सी
11.मनरेगा	शून्य / 07.01.2023	882 / 20.01.2022	निर्माण डंगा नजदीक सुनील कुमार स्पुत्र अमर सिंह वार्ड 3	22480	माप–पुस्तिका, 34–सी
12.मनरेगा	शून्य / 07.01.2023	952 / 01.02.2022	निर्माण डंगा नजदीक जगत राम की जमीन वार्ड 1	21980	माप–पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**280939**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत महालपट्ट से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 129 दिनांकः–27.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांक 01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹1.24 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के

अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹124243 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से तीन निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान "It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction." अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित है, जोकि आपतिजनक है:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	NREGA	NIL/26.07.2023	07/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Amit Katoch Govt. Contractor Mahalpatt Bill No 0079 dt.-21.11.2022	60sqm	39000
2	NREGA	NIL/26.07.2023	07/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Amit Katoch Govt. Contractor Mahalpatt Bill No 0080 dt.-21.11.2022	60sqm	39000
3	NREGA	NIL/26.07.2023	07/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Amit Katoch Govt. Contractor Mahalpatt Bill No 0081 dt.-21.11.2022	45.14 sqm	29341
4	15^{TH} FC	P/53/84/21.07.2023	07/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Sunny Bros.Bijapur Jaisinghpur Bill No 050 dt.-03.07.2022	1030	16902
					Total	**124243**

उपरोक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए क्रय तथा वर्णित पत्रानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/134 दिनांक:–01.03.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्या:–15 दिनांक:–01.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11.2 व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.80/—लाख का अधिक भुगतान करना:—

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या— SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:—Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये निर्माण कार्यों में उक्त नियमानुसार भुगतान न करके ₹80407/— का अधिक भुगतान किया गया था:—

अनुदान	वाउचर सं0/ दि0	बिल सं0/दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
मनरेगा	निल/20.01.23	मस्ट्रोल संख्या— 6128,585/20.01.2023	नि0 वाटर टैंक मदन लाल स्पुत्र लखिया राम वार्ड 6	44813 (26888+(26888X 2/3)	72369	27556
मनरेगा	निल/20.01.23	मस्ट्रोल संख्या— 6129	नि0 वाटर टैंक राम प्रसाद स्पुत्र परस राम वार्ड 7	43400 (26040+(26040X 2/3)	74187	30787
मनरेगा	निल/27.07.23	597/निल	नि0 वाटर टैंक सुरेश मल्होत्रा स्पुत्र जगदीश चन्द वार्ड 4	37393 (22436+(22436X 2/3)	59457	22064
					कुल योग	**80407**

मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/130 दिनांक:—27.02.2025 द्वारा

सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा अवगत करवाया किया गया कि व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके अधिक भुगतान किया, जोकि ऑनलाईन DPR ENTRY के हिसाब से किया गया, जिसमें DPR में निर्धारित अनुपात 60:40 को नहीं अपनाया गया था। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त किये गये अधिक भुगतानों को या तो उनके सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इन मामलों में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त, अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार के अन्य मामलों में यदि इस तरह की वितीय अनियमितता पाई जाती है तो उसकी भी विभागीय जांच उपरान्त तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

11.3 मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज विभाग, (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के प्रावधानानुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव, अति संदाय चाहे सदभाव से किया गया हो, की तत्तपर वसूली करने का जिम्मेदार होगा। निर्माण डंगा नजदीक केवल सिंह जम्बाल सुपुत्र बुधी सिंह वार्ड 6 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 10624 के पृष्ठ संख्या 5 तथा 10539 के पृष्ठ संख्या 88 व 95 में निर्माण सामग्री, बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 1059 दिनांक 20.02.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 390 cft का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹1054/–** का अधिक भुगतान किया गया थाः–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर (₹)	दर (₹)	राशि (₹)
1.	नरेगा	बजरी	390 cft	359cft	31	34	1054

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>

1. Item-3,2,1 P/L(1:3:6)-10.88(4.04+5.11+1.73)m3X.89(Agg. Factor)+5%(Varitation)=359cft

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/136 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा

अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–15 दिनांक:–01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त कार्य के लिये सामग्री खरीदने हेतु अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अधिक किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि माप–पुस्तिकाओं में उच्च तकनीकी अधिकारियों के अनुमोदन/सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्त्रोत पर जी० एस०टी /टी० डी० एस० की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.14 लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा संविदाकार/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवाओं और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹ 2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत "**परिशिष्ट -8**" अनुसार 15 वां वित्त व मनरेगा शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों को करवाने हेतु निम्न विवरणानुसार राशि **₹**689455/- की निर्माण सामग्री की प्राप्ति की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ता से स्त्रोत पर कर राशि **₹**13789**/-** की कटौती (जी.एस.टी./टी.डी.एस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	**वा०/दिनांक**	**कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम**	**परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)**	**स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)**
1.	परिशिष्ट अनुसार (क्रम स० 1 से 27)	मै०सोहन सिंह सकडी बैजनाथ	689455.25 or say 689455	13789 or say 13789

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/133 दिनांकः—01-03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत महालपट्ट को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15 दिनांकः—01.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सामग्री खरीदने हेतु उक्त राशि का भुगतान किया गया, जिस पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा संबंधित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जांच कर संस्था/विभागीय स्तर पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 राशि ₹0.07/— लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार मनरेगा वित्तीय विवरणों में राशि **₹7500/—**का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः—

क्र0सं0	अनुदान/मद	वाउचर सं0/दिनांक/बिल सं0	कार्य का नाम/विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)
1.	मनरेगा	निल/26.07.2023/214	निर्माण कुल्ह सुशील कुमार के घर से चुनी लाल जमीन नजदीक पेहलूण नाला वार्ड—7	निल	1500
2.	मनरेगा	निल/26.07.2023/2110	नि0 वाटर टैंक सुरेश मल्होत्रा सुपुत्र जगदीश चन्द वार्ड 4	निल	500
3.	मनरेगा	निल/26.07.	नि0 वाटर टैंक मदन	निल	500

		2023/219	लाल सुपुत्र लखिया राम वार्ड 6		
4.	मनरेगा	निल/26.07. 2023/2111	नि0 वाटर टैंक राम प्रसाद सुपुत्र परस राम वार्ड 7	निल	500
5.	मनरेगा	निल/26.07. 2023/215	निर्माण सुरक्षा दीवार व टॉय दीवार पंचवटी पार्क कटोच बस्ती शिव मन्दिर वार्ड–6	निल	2000
6.	मनरेगा	निल/28.07. 2023/217	निर्माण रास्ता हाडी मन्दिर से शमशानघाट वार्ड.5	निल	500
7.	मनरेगा	निल/28.07. 2023/212	निर्माण रास्ता व कुल्ह नोहरा मेन सडक से ढरकू नाला वार्ड–2	निल	1500
8.	मनरेगा	निल/28.07. 2023/212	निर्माण रास्ता पंजाव राणा के घर से कर्म चन्द के घर तक वार्ड–5	निल	500
				कुल	**7500**

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/135 दिनांक:–01.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरों को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि के बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा असमर्थित भुगतान राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये

14 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव

द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस वित्त नियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी, जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महालपट्ट द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोलों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था, जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैः–

क्र॰स॰	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन. वाई	67/116/05.01. 2023	18/9078	20812
2	एस.डी.पी	71/120/05.01. 2023	17/9079	29904
3	15वां वित	43–45/21.07. 2023	30	17536
4	15वां वित	68–70/22.07. 2023	11	14994
5	15वां वित	71–74/22.07. 2023	15	25328

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यो के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों के स्थान पर केवल पंचायत सदस्यो के हस्ताक्षर ही करवाये गए, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/138 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 15 दिनांक 01.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10,11.1" व विभिन्न परिशिष्टों के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों, मनरेगा के अतिरिक्त, को तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में

किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार जब कोई भुगतान किया जाता है या कार्य को मापा जाता है, तो माप दर्ज करने वाली पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर तिरछी लाल स्याही कर रेखाएं बना दी जाएंगी और भुगतान वाउचर की संख्या का संदर्भ देते हुए लागत के सार पर पृष्ठाकन किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस पंकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

6.चयनित मास के बिलों को निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित नहीं किया था। उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/136 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत महालपट्ट को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से संबंधित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधरात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/119 दिनांकः 21.02.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 दिनांकः–01.03.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र00सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34

2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/119 दिनांकः—21.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15 दिनांकः—01.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:—

18 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में चयनित मासो 01/2023 व 07/2023 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिका**:– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्ष**:– लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की नितांत आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का॰/प्रति

3082-3086 31 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)292/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत महालपट्ट, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का॰/प्रति

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या – 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP MAHALPATT BLOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-176125 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES & GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2028285.25	1131237.00	3159522.25	1244837.00	1914685.25
2023-24	1914685.25	952215.88	2866901.13	987615.00	1879286.13

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2607834.20	3925601.00	6533435.20	3765241.00	2768194.20
2023-24	2768194.20	3341140.30	6109334.50	3689002.30	2420332.20

प्रधान सचिव
ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – 6.2)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MAHALPATT FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2022-23	1217175.20	371.00	1217546.20	594526.00	623020.20
		2023-24	623020.20	0.00	623020.20	0.00	623020.20
2	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1390659.00	1320654.00	2711313.00	566139.00	2145174.00
		2023-24	2145174.00	697653.00	2842827.00	1045515.00	1797312.00
3	MGNREGA	2022-23	0.00	2604576.00	2604576.00	2604576.00	0.00
		2023-24	0.00	2643487.30	2643487.30	2643487.30	0.00

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(क))

कार्यालय ग्राम पंचायत महालपटट विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176125

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत महालपटट के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22 को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरां वित / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी / एम.पी.लेड / एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बैजनाथ	20016004952	1437868.02	759399.90
2	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक बैजनाथ	50068861028	50986.00	0.00
3	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	कैनरा बैंक बैजनाथ	5073101004009	1390659.00	1810946.00
4	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			63450.25	63423.25
5	हस्तगत शेष(14वां वितायोग की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			1629.00	1629.00
	कुल योग			**2944592.27**	**2635398.15**

प्रधान   सचिव

ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

0.00

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या –"7")

कार्यालय ग्राम पंचायत महालपटट विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176125

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 798 व 2023–24 में 798 परिवारों का रु 50/ प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	17650	798	50	39900	57550	3400	54150
2023–24	54150	798	50	39900	94050	58700	35350
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹35350**/– है।						

प्रधान

स.चिव

ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या — "8")

कार्यालय ग्राम पंचायत महालपट्ट विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176125

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	8300
2	2023–24	4700
कुल		13000

प्रधान
सचिव
ग्राम पंचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या – 9.1)

ग्राम पंचायत महालपटट विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स./दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.VKVNY	P/72/86/30.01.2023	Gate ,Grill Branda ,Loading &unloading	09/20.09.2022	M/S Sunil Kumar Supplier Nauhra Baijnath			50168	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.14TH FC	P/16/85/30.01.2023	Gate ,Angle]Pipe ,Jali ,Loading &unloading	20/20.10.2022	M/S Sunil Kumar Supplier Nauhra Baijnath			28832	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.NREGA	NIL/07.01.2023	Board Writing	881/20.01.2022	K.T Decorators & Hardware Baijnath	1	700	700	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.NREGA	NIL/07.01.2023	Board Writing	883/20.01.2022	K.T Decorators & Hardware Baijnath	1	1500	1500	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.NREGA	NIL/26.07.2023	TMT BAR(12mm,10mm,8mm,16mm), Binding War	MRSL/22-23/3009/02.12.2022	M/S Mani Ram Sham Lal Paprola			27214.48	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6.NREGA	NIL/26.07.2023	TMT BAR(10mm,8mm,16mm), Binding War	MRSL/22-23/2309/04.10.2022	M/S Mani Ram Sham Lal Paprola			27035.82	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.NREGA	NIL/28.07.2023	TMT BAR(12mm), Binding War	MRSL/22-23/2326/06.10.2022	M/S Mani Ram Sham Lal Paprola			7286.22	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8.SF	P/27/74/06.07.2023	GLOBAL CLASS 3 SIGN OR DSC	0328/04.06.2023	M/S Arthsankhya Edigital Private Ltd. Narwana Yol			3400	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9.VKVNY	P/31/77/06.07.2023	Kajaria 12X12(Box)	0570/17.05.2023	M/S Shree Ganesh Sanitary & Hardware Store Paprola	16	390	6240	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10.15TH FC	P/59-67/21.07.2023	Cement Carriage	219/20.06.2023	M/S Amit Katoch Mahalpatt Baijnath	250	29	7250	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
							159626.52	

प्रधान

सचिव

ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट – 7 (पैरासंख्या – "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत महालपट्ट विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगडा हि0प्र0 –176125 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	VKVNY	68/117/05.01.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	583/01.12.2022	C rasher Sand	100	47.5	4750.00
					Crusher	200	38	7600.00
					Soiling	200	30.44	6088.00
2	15TH FC	36/127/30.01.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	538/05.01.2023	Sand Crasher	200	47.5	9500.00
					Crusher	300	38	11400.00
					Boulder	200	30.44	6088.00
3	15TH FC	37/129/30.01.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	540/05.01.2023	Agg. Crusher	500	38	19000.00
					Crasher Sand	300	47.5	14250.00
					Boulder	150	30.44	4566.00
4	15TH FC	38/125/30.01.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	539/05.01.2023	Crasher Sand	100	47.5	4750.00
					Boulder	100	30.44	3044.00
					Agg. Crusher	20	38	760.00
5	15th FC	54/82/21.07.2023	SHREE GANESH SANITARY AND H/W	1114/06.07.2023	Sand	130	49.50	6435.00
6	15th FC	55/83/21.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	650/01.06.2023	Crusher	110	36.00	3960.00
7	15th FC	56/79/21.07.2023	do	649/01.06.2023	Crusher	100	36.00	3600.00
8	15th FC	57/80/21.07.2023	SHREE GANESH SANITARY AND H/W STORE PAPROLA	1113/06.07.2023	Sand	80	49.50	3960.00
9	15th FC	58/81/21.07.2023	AMIT KATOCH MAHALPATT	0076/01.06.2023	Boulder	112	32.57	3648.00
10	15th FC	75/102/27.07.2023	SHREE GANESH SANITARY AND H/W STORE PAPROLA	1328/12.07.2023	Sand	20	49.50	990.00
11	15th FC	76/103/27.07.2023	AMIT KATOCH MAHALPATT	0069/01.07.2023	Boulder	50	32.57	1628.00
12	15th FC	77/104/27.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	669/01.07.2023	Crusher	40	36.00	1440.00
13	15th FC	81/97/27.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	668/01.07.2023	Agg. Crusher	20	36.00	720.00
14	15th FC	83/100/27.07.2023	AMIT KATOCH MAHALPATT	0067/01.07.2023	Boulder	100	32.57	3257.00
15	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	454/21.11.22	Solling Stone	269.64	30.44	8207.84
					crasher Sand	200	47.5	9500.00
					Agg. Crasher	650	38	24700.00
16	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	463/21.11.22	crasher Sand	335	47.50	15912.50
					crasher	670	38	25460.00
17	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	464/21.11.22	Solling Stone	340	30.44	10349.60
18	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	458/21.11.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	500	38	19000.00
19	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	459/21.11.22	Solling Stone	630	30.44	19177.20
20	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	597/20.01.23	crasher Sand	140	47.50	6650.00
					crasher	270	38	10260.00
					Boulder	80	30.44	2435.20
21	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	585/20.01.23	crasher Sand	210	47.50	9975.00
					crasher	390	38	14820.00
					Boulder	50	30.44	1522.00
22	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	545/20.01.23	crasher Sand	280	47.50	13300.00
					Agg. Crasher	480	38	18240.00
					Boulder	35	30.44	1065.40

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

23	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	455/21.11.22	crasher Sand	580	47.50	27550.00
24	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	456/21.11.22	Agg. Crasher	1050	38	39900.00
25	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	465/21.11.22	crasher Sand	120	47.50	5700.00
					crasher	180	38	6840.00
					Solling Stone	149.80	30.44	4559.91
26	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	467/21.1122	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	300	38	11400.00
27	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	433/20.09.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	300	38	11400.00
					Solling Stone	600	30.44	18264.00
28	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	431/02.08.2022	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	300	38	11400.00
					Solling Stone	600	30.44	18264.00
29	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	457/21.11.22	crasher Sand	30	47.50	1425.00
					Agg. Crasher	330	38	12540.00
					Solling	299.6	30.44	9119.82
30	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	468/21.12.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	300	38	11400.00
31	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	528/20.01.23	crasher Sand	200	47.50	9500.00
					Agg. Crasher	500	38	19000.00
32	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	442/20.09.22	crasher Sand	400	47.50	19000.00
					Agg. Crasher	760	38	28880.00
33	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	443/20.09/22	Boulder	100	30.44	3044.00
34	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	432/02.08.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	200	38	7600.00
35	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	460/21.11.22	crasher Sand	150	47.50	7125.00
					Crasher	330	38	12540.00
					Solling Stone	119.84	30.44	3647.93
36	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	461/21.11.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Crasher	500	38	19000.00
37	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	462/21.11.22	crasher	370	38	14060.00
					crasher Sand	160	47.5	7600.00
38	NREGA	nil/07.01.023	K.T.DECORATOR H/W BAIJNATH	883/20.01.22	crasher sand	100	43	4300.00
					Agg. Crasher	200	34	6800.00
					Boulder Stone	260	32.90	8554.00
39	NREGA	nil/07.01.023	K.T.DECORATOR H/W BAIJNATH	952/01.02.2022	crasher Sand	200	43	8600.00
					Agg. Crasher	370	34	12580.00
40	NREGA	nil/07.01.023	K.T.DECORATOR H/W BAIJNATH	882/20.01.2022	crasher Sand	200	43	8600.00
					Agg. Crasher	370	34	12580.00
41	NREGA	nil/07.01.023	K.T.DECORATOR H/W BAIJNATH	881/20.01.22	crasher Sand	200	43	8600.00
					Agg. Crasher	370	34	12580.00
42	NREGA	nil/07.01.023	K.T.DECORATOR H/W BAIJNATH	1059/20.02.22	crasher Sand	195	43	8385.00
					Agg. Crasher	390	34	13260.00
							कुल योग	877357.48

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

प्रधान

स.चिव

ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – "12")

कार्यालय ग्राम पंचायत महालपट्ट विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगडा हि0प्र0 –176125 द्वारा कय सामग्री पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती न करने से सरकारी कोष को संभावित हानि

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	15th FC	55/83/21.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	650/01.06.2023	Crusher	110	36.00	3960.00
2	15th FC	56/79/21.07.2023	do	649/01.06.2023	Crusher	100	36.00	3600.00
3	15th FC	77/104/27.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	669/01.07.2023	Crusher	36.02	36.00	1296.72
4	15th FC	81/97/27.07.2023	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	668/01.07.2023	Agg. Crusher	20	36.00	720.00
5	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	454/21.11.22	Solling Stone	269.64	30.44	8207.84
					crasher Sand	200	47.5	9500.00
					Shuttering(sqf)	160	16	2560.00
					Wall Writing	1	600	600.00
					Agg. Crasher	650	38	24700.00
6	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	463/21.11.22	crasher Sand	335	47.50	15912.50
					crasher	670	38	25460.00
7	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	464/21.11.22	Solling Stone	340	30.44	10349.60
8	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	458/21.11.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	500	38	19000.00
9	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	459/21.11.22	Solling Stone	629.17	30.44	19151.93
					Shuttering(sqf)	120	16	1920.00
10	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	597/20.01.23	crasher Sand	140	47.50	6650.00
					crasher	270	38	10260.00
					Shuttering(sqf)	63.75	16	1020.00
					Boulder	80	30.44	2435.20
11	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	585/20.01.23	crasher Sand	210	47.50	9975.00
					crasher	390	38	14820.00
					Shuttering(sqf)	200	16	3200.00
					Boulder	50	30.44	1522.00
12	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	545/20.01.23	crasher Sand	280	47.50	13300.00
					Agg. Crasher	480	38	18240.00
					Shuttering(sqf)	120	16	1920.00
					Boulder	34.98	30.44	1064.79
13	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	455/21.11.22	crasher Sand	580	47.50	27550.00
					Shuttering(sqf)	200	16	3200.00
14	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	456/21.11.22	Agg. Crasher	1050	38	39900.00
15	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	465/21.11.22	crasher Sand	120	47.50	5700.00
					crasher	180	38	6840.00
					Solling Stone	149.80	30.44	4559.91
16	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	467/21.1122	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	300	38	11400.00
17	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	433/20.09.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	300	38	11400.00
					Solling Stone	600	30.44	18264.00
18	NREGA	nil/27.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	431/02.08.2022	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	300	38	11400.00
					Solling Stone	600	30.44	18264.00
19	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	457/21.11.22	crasher Sand	30	47.50	1425.00
					Agg. Crasher	330	38	12540.00
					Shuttering(sqf)	200	16	3200.00
					Solling	299.6	30.44	9119.82
20	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	468/21.12.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					crasher	300	38	11400.00
21	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	528/20.01.23	crasher Sand	200	47.50	9500.00
					Shuttering(sqf)	200	16	3200.00
					Agg. Crasher	500	38	19000.00
22	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	442/20.09.22	crasher Sand	400	47.50	19000.00
					Agg. Crasher	760	38	28880.00

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत महालपट्ट

23	NREGA	nil/28.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	443/20.09/22	Shuttering(sqf)	250	16	4000.00
					Boulder	100	30.44	3044.00
24	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	432/02.08.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Agg. Crasher	200	38	7600.00
25	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	460/21.11.22	crasher Sand	150	47.50	7125.00
					Crasher	330	38	12540.00
					Shuttering(sqf)	50	16	800.00
					Solling Stone	119.84	30.44	3647.93
26	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	461/21.11.22	crasher Sand	300	47.50	14250.00
					Crasher	500	38	19000.00
27	NREGA	nil/26.07.23	SOHAN SINGH SAKDI BAIJNATH	462/21.11.22	crasher	370	38	14060.00
					Shuttering(sqf)	200	16	3200.00
					crasher Sand	160	47.5	7600.00
						कुल योग		**689455.25**

प्रधान

स.चिव

ग्राम पचायत महालपट्ट
वि०ख० बैजनाथ, कांगड़ा, हि०प्र०